अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

22/225 KTA — मोहनलाल व/स मगनसिंह

2022/407 — हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर — हसनखान । रेस्पो. फिरोजसिंह-18 — नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री दीपक पारीक Ad — श्री लक्ष्मणनाथ -02

26/9/24

मोहनलाल बनाम मगनसिंह वगैरह (2022/407)

यह अपील श्री हसन खान एडवोकेट के द्वारा दिनांक 24.09.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रकरण को मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश की पालनार्थ में निस्तारित किये जाने बाबत् पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के समक्ष न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 23.12.2022 के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। मान्नीय मण्डल ने उक्त निगरानी संख्या 3029/2024 में दिनांक 11.06.2024 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 23.12.2022 को निरस्त कर, विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का एक माह में करने के आदेश दिये है तब तक विवादित आराजी के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जानें आदेश दिये है। मान्नीय मण्डल के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने से अपील अपीलांट सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर